संख्या-82/2021/860/22-2-2021-17(479)/2021

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 31 मई, 2021***

विषय:-जिला कारागार, महराजगंज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शेषमणि मिश्रा पुत्र श्री शंकर मिश्रा, निवासी जनपद-महराजगंज की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4324/प्रोबे-5-दया0 बैठक-11-02-2021 दिनांक 22-02-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, महराजगंज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शेषमणि मिश्रा पुत्र श्री शंकर मिश्रा, जो बृजमनगंज, थाना-बृजमनगंज, जनपद-महराजगंज का रहने वाला है। श्री रूपनरायन मिश्रा की पुत्री की शादी बंदी के पुत्र दुर्गेश से हुयी थी। दुर्घटना में दुर्गेश के चोट लग जाने पर इलाज में हुए खर्च को लेकर रूपयों की मांग करने एवं मांग पूरी न होने पर दिनांक 08.02.2011 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मिलकर दुर्गेश की पत्नी पर मिट्टी का तेल डाल कर आग लगा दी। दुर्गेश ने अपनी पत्नी को बचाना चाहा तो उसे धक्का दे दिया जिससे दोनों की जल कर मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-91/2011 में भा0द0वि0 की धारा-498ए, 302 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/(त्वरित न्यायालय प्रथम), महराजगंज के आदेश दिनांक 25.08.2017 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 18.09.2020 तक 09 वर्ष 04 माह 27 दिन की अपरिहार सजा तथा 10 वर्ष 01 माह 03 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा द्वारा कृत अपराध जघन्य अपराध की श्रेणी के अन्तर्गत आने, रिहा होने पर अपराध करने की प्रबल संभावना से इंकार नहीं किये **के** दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, महराजगंज द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी शेषमणि मिश्रा (बन्दी संख्या-159/2017) पुत्र श्री शंकर मिश्रा, निवासी जनपद-महराजगंज की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-82/2021/860(1)/22-2-2021 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-जिला मजिस्ट्रेट, महराजगंज।
2-अधीक्षक, जिला कारागार, महराजगंज।
3-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in